

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2023-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितंबर, 2023

सा.का.नि. (अ) - एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या -CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 544 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।